सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 29 राँची, बुधवार 20 अगस्त, 2025 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	570-592
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

21 जुलाई, 2025

विषयः- **माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P. (S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P. (S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा दिनांक 16.01.1994 से नियमितीकरण के संबंध में ।**

स०सं०-03/गृ० (का०)-स्था० (कोर्ट)-39/2022-4513--श्री उमेश पासवान, कक्षपाल (सम्प्रति सेवानिवृत्त-31.07.2023) एवं श्री राम विनय शर्मा, कक्षपाल (सम्प्रति सेवानिवृत्त-31.12.2022) द्वारा कक्षपाल के पद पर दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से नियमित करने के निमित दायर वाद W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश का अंश निम्नवत् है -

"........ 7. As a sequitur to the aforesaid rules, regulations, guidelines and judicial pronouncement, the impugned orders dated 3.9.2021 and 7.9.2021 passed in both the writ petitions are hereby quashed and set aside. The respondent no. 2 is hereby directed to consider the case of the petitioners for regularization with effect from 16.01.1994 with all consequential benefits. Let an order to that effect be passed within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order........."

2. Case का Chronological History निम्नवत् है :-

(i) याचिकाकर्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा, दिनांक-08.12.1984 से कक्षपाल के पद पर Temporary Basis पर कार्यरत थे ।

(ii) अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, भागलपुर के आदेश सं०-30, दिनांक-16.01.1994 द्वारा दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट किया गया, जिसे तत्कालीन कारा महानिरीक्षक, पटना बिहार के आदेश दिनांक 30.08.1996 द्वारा निरस्त किया गया ।

(iii) राज्य विभाजन के पश्चात् अस्थायी कक्षपाल श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा झारखण्ड कैडर में स्थानान्तरित होकर सेवा दिये ।

(iv) बिहार कैडर में कार्यरत अस्थायी कक्षपालों को CWJC No.-16376 of 2011 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार सरकार द्वारा दिनांक-16.01. 1994 से स्थायी कक्षपाल के रूप में नियमित किया गया ।

(v) झारखण्ड कैडर में कार्यरत याचिकाकर्ता एवं अन्य के द्वारा भी बिहार के अनुरूप नियमित करने हेतु W.P. (S) No.-5074/2009 एवं अन्य याचिकाएँ दायर की गई ।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा (1) W.P. (S) No.-5074/2009 Murari Lal Sah & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (2) W.P.(S) No.-1451/2016 Salomi Ekka & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (3) W.P.(S) No.-3921/2009 Sumitra Devi & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (4) W.P.(S) No.-5089/2017 Jai Prakash Prasad & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (5) W.P.(S) No.-705/2016 Rajeshwar Dubey & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (6) W.P.(S) No.-3808/2019 Satyendra Kumar Rana & Others Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेशों के आलोक में कुल 08 में से 07 अनियमित कर्मियों (विषयांकित दोनों याचिकाकर्त्ता सहित) को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2674 दिनांक-29.07.2021 द्वारा नियमित करते हुए नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। जबकि 01 याचिकाकर्ता श्री सत्येन्द्र कुमार राणा की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। उक्त संकल्प द्वारा सूचीबद्ध 07 अनियमित रूप से नियुक्त कारा कर्मियों की सेवा नियमित करते हुए कारा निरीक्षणालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के आलोक में योगदान की तिथि से नियुक्त किया गया है। तद् लोक में याचिकाकर्त्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को क्रमशः दिनांक-03.09.2021 एवं 07.09.2021 के प्रभाव से कक्षपाल के पद पर सेवा नियमित करते हुए नियुक्त किया गया ।

4. उक्त आदेश के विरूद्ध दोनों याचिकाकर्त्ताओं द्वारा रिट याचिका क्रमशः W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others दायर किया गया जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश में संदर्भित दोनों याचिकाकर्त्ताओं को दिनांक-16.01.1994 से नियमित करने का आदेश दिया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को दिनांक-16.01. 1994 से नियमित करने का परामर्श / मंतव्य दिया गया है ।

6. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश अनुपालन किया जाना अपरिहार्य हो गया है ।

7. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

(i) याचिकाकर्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से कक्षपाल के पद पर नियमित की जाय ।

(ii) दिनांक-16.01.1994 से याचिकाकर्त्ताओं को नियमित किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि से सभी परिणामी लाभ प्रदान करने हेतु श्री उमेश पासवान को 71.25,695/- (इकहत्तर लाख पच्चीस हजार छः सौ पंचानबे रूपये) मात्र एवं श्री राम विनय शर्मा को 64,58,527/- (चौसठ लाख अन्ठावन हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र अर्थात् कुल रूपये 1,35,84,222/- (एक करोड़ पैंतीस लाख चौरासी हजार दो सौ बाईस) का भुगतान की जाय ।

(iii) उक्त तिथि से सेवा नियमितिकरण के फलस्वरूप किये गये निर्धारित वेतन का सत्यापनोपरांत ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(iv) संदर्भित लिये गये निर्णय को किसी भी मामले में पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा ।

8. प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संलेख संख्या-4219, दिनांक-09.07.2025 के क्रम में दिनांक-11.07.2025 की बैठक में मद संख्या-13 के रूप में दी गयी है ।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 जुलाई, 2025

संख्या-13/पी₁-102/2022-3124--सी०, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है :-

क्र०सं०	**पदाधिकारियों का नाम/वर्तमान पदस्थापन**	**रिक्त पदों का नाम**
1	श्री सौरभ, भा०पु०से० (2016) समादेष्टा, झा०स०पु०-10, होटवार, राँची	समादेष्टा, झा०स०पु०-01, राँची
2	श्री कपिल चौधरी, भा०पु०से० (2019) पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, धनबाद	समादेष्टा, झा०स०पु०-03, गोविन्दपुर, धनबाद
3	श्री राजकुमार मेहता, भा०पु०से० (2016) पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा	समादेष्टा, आई०आर०बी०-01, जामताड़ा
4	श्री सुमित कुमार अग्रवाल, भा०पु०से० (2019) पुलिस अधीक्षक, चतरा	समादेष्टा, आई०आर०बी०-03, चतरा
5	मो० हरिश बिन जमाँ, भा०पु०से० (2017) पुलिस अधीक्षक, गुमला	समादेष्टा, आई०आर०बी०-05, गुमला
6	श्री मुकेश कुमार, भा०पु०से० (2016) पुलिस अधीक्षक, गोड्डा	समादेष्टा, आई०आर०बी०-08, गोड्डा
7	श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, भा०पु०से० (2021) पुलिस अधीक्षक, नगर, धनबाद	पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद
8	श्री ऋषव गर्ग, भा०पु०से० (2019) पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, जमशेदपुर।	पुलिस अधीक्षक, रेल, जमशेदपुर।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

25 जुलाई, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस०-127/2019-3034--श्री टी० कन्दसामी, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक, (अभियान) झारखण्ड, राँची को चिकित्सा कारण से 82 दिनो के अर्धवैतनिक अवकाश को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-13 के अंतर्गत पूर्ण वेतन के अवकाश में रूपांतरित करते हुए दिनांक-07.05.2025 से दिनांक-16.06.2025 तक कुल 41 (इकतालिस) दिनों के रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमांशु मोहन,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2025

संख्या-12/पी0-8001/2025-2966--विभागीय अधिसूचना सं०-2632, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त श्री अजय कुमार (गृह जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार) को पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिर्की,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2025

संख्या-19/FSL (01)-07/2025-3202--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) में भर्ती एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-</u>

(i) संक्षिप्त नाम- यह नियमावली राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025 कही जायेगी ।

(ii) विस्तार - इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला सहित अन्य संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लागू होगा ।

(iii) प्रभाव की तिथि- राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह नियमावली प्रवृत्त होगी ।

2. <u>परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :-</u>

(क) राज्य- राज्य से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।

(ख) संवर्ग- संवर्ग से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) का संवर्ग ।

(ग) आयोग- आयोग से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(घ) विभाग- विभाग से अभिप्रेत है, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

(ङ) विभागाध्यक्ष- विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी / प्राधिकार ।

(च) निदेशालय- निदेशालय से अभिप्रेत है, राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची ।

(छ) नियुक्ति प्राधिकार- नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची ।

(ज) परीक्ष्यमान - परीक्ष्यमान से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो ।

(झ) वरीयता सूची - वरीयता सूची से अभिप्रेत है, चतुर्थ वर्गीय पदों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदशों के अनुसार पुनरीक्षित हो ।

(ञ) नियंत्री पदाधिकारी- नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रेत है, सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्री पदाधिकारी ।

(ट) भर्ती- भर्ती वर्ष से अभिप्रेत है, कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31वीं दिसम्बर) ।

3. <u>सेवा का वेतनमान / वर्गीकरण :-</u>

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) का वेतनमान / वर्गीकरण :-

क्रम सं०	पदनाम	नियुक्ति प्रक्रिया	वेतनमान	वर्गीकरण
1.	विसरा कटर	सीधी नियुक्ति	7PRC Pay Matrix-Level-01	समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय पद, अरापत्रित)
2.	प्रयोगशाला वाहक	सीधी नियुक्ति	7PRC Pay Matrix-Level-01	समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय पद, अरापत्रित)

4. <u>नियुक्ति प्रक्रिया :-</u>

(i) चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) पर राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची से मेधा क्रम के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।

(ii) आरक्षण- राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत नियम / परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे ।

5. <u>शैक्षणिक योग्यता :-</u>

(i) अनिवार्य योग्यता-

(a) सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/10वीं स्तर पास अनिवार्य होगी ।

(b) आवेदक प्रयोगशाला कार्य के दौरान विसरा, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, वमन इत्यादि को हथालने को तैयार हों ।

(ii) वांछनीय योग्यता- किसी शवगृह/शव परीक्षण गृह/विधि विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का अनुभव। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान के प्रधान/प्रभारी द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

6. **उम्र सीमा :-**

न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी ।

7. **चयन प्रक्रिया :-**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-10506, दिनांक-11.12.2015 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)" के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार कर सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के क्रमानुसार सम्बद्ध कार्यालय को उपलब्ध करायेगी ।

8. **परीवीक्षा की अवधि, प्रशिक्षण एवं सम्पुष्टि :-**

चतुर्थ वर्गीय (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) पदों पर सीधी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त होने की तिथि से छः माह के लिए कर्मियों को परिवीक्षाधीन माना जायेगा, जिन्हें उक्त अवधि में संबंधित (निर्धारित) कार्य करने हेतु प्रशिक्षण राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची में प्रदान की जायेगी ।

विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक के पद पर नियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी द्वारा पद से संबंधित कार्य परिवीक्षाधीन अवधि में निपुण होने के उपरांत नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। परिवीक्षाधीन अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्य में निपुणता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परिवीक्षाधीन अवधि को नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है। उक्त अवधि के उपरांत भी निर्धारित कार्य करने में अक्षम रहने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है ।

9. **चतुर्थ वर्गीय (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) के पद पर रिक्ति की गणना :-**

प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी ।

10. **पदस्थापन /स्थानान्तरण :-**

निदेशक (नियंत्री पदाधिकारी) पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे ।

11. **संशोधित वृत्ति उन्नयन (MACP) :-**

राज्य सरकार द्वारा प्रभावी संशोधित वृत्ति उन्नयन (MACP) चतुर्थ वर्गीय (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) पद पर लागू होंगे ।

12. अवकाश / चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के सबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे ।

13. **<u>अनुशासनिक कार्रवाई :-</u>**

अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियुक्ति प्राधिकार/पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।

14. **<u>वरीयता :-</u>**

वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी ।

15. **<u>निरसन और व्यावृति :-</u>**

(i) इस संवर्ग के लिए अन्य शर्ते यथा-अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृति लाभ इत्यादि जो इस नियमावली में आच्छादित नहीं है या जो इस पद के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी ।

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर पूर्व में सरकार द्वारा उक्त पद हेतु बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/ विनियम अनुदेश/ आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे ।

(iii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी ।

(iv) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
प्रधान सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

24 July, 2025

Memo No.-10/C.B.I.-422/2025-4598--Government of Jharkhand hereby accord consent under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) to the all the members of Delhi Special Police Establishment to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand, upon request made vide letter No.-664/SI-04/2025-CBI ACB Ranchi, dated 10.07.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against Sh. Sanjeev Kumar Singh, Assistant Security Sub Inspector at Bhurkunda Technical Training Institute (BTTI), CCL, Distt. Ramgarh and unknown public servants and private persons for committing offences u/s 61(2) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 r/w section 7, 8 and 12 of Prevention of Corruption Act, 1988 (As amended in 2018) and other offence(s) that may come into light during investigation of the case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Dayanand Kumar,
Under Secretary to Government.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2025

संख्या-21/सै०क० (स्था०)-08/2025-3207--विभागीय अधिसूचना सं०-4093, दिनांक- 20.09.2022 द्वारा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) जिनकी अनुबंध अवधि विभागीय अधिसूचना सं०-6248, दिनांक-05.11.2024 द्वारा दिनांक-30.09.2025 तक विस्तारित की गयी है ।

श्री राव द्वारा पत्रांक-541, दिनांक-02.07.2025 के माध्यम से व्यक्तिगत कारणवश दिनांक-03.07.2025 के प्रभाव से जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पद से त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया ।

2. निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) के बकाया वसूली के संबंधी में एक स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर विभाग को सूचित किया जायेगा ।

3. सम्यक विचारोपरांत कमाण्डर पी० रामा राव (अ०प्रा०) जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला का त्याग-पत्र पर दिनांक-03.07.2025 के प्रभाव से स्वीकृति प्रदान किया जाता है ।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 जुलाई, 2025

सं०सं०-4/ नि०सं०-12-122/2015 का॰ 3925--स्व० संदीप भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 363/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को दिनांक 19.10.2024 से 29.11.2024 तक (कुल 42 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के अन्तर्गत अनुमान्य 84 दिनों का आधे वेतन की छुट्टी को नियम 234 के अन्तर्गत 42 दिनों के पूरे वेतन की छुट्टी में रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 जुलाई, 2025

सं०सं०-2/ नि०सं०-12-14/2020 का॰ 3935--श्री अभिनीत कुमार सूरज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 73/25), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-551/वि० दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 16.04.2025 से 30.04.2025 तक (कुल 15 दिन) पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2025

सं०सं०-3/विविध-09-08/2016 का० 4350--श्री ओम प्रकाश साह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-722/03), विशेष सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 05.04.2025 से 25.04.2025 तक (कुल 21 दिन) रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2025

संख्या-3/नि०सं०-09-16/2016 का० 4337--श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-814/03), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नांकित अवधियों को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(i) दिनांक 02.11.2016 से 11.11.2016 तक (कुल 10 दिन)	उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
(ii) दिनांक 11.04.2022 से 24.04.2022 तक (कुल 14 दिन)	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2025

संख्या-3/नि०सं०-09-41/2015 का. 4338--श्री प्रेम रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-834/03), प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के निम्नांकित अवधियों को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i)	दिनांक 25.06.2022 से 05.07.2022 तक (कुल 11 दिन)	उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
(ii)	दिनांक 07.07.2022 से 16.07.2022 तक (कुल 10 दिन)	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2025

सं०सं०-4/नि०सं०-12-24/2019 का. 4332--श्रीमती शाईनी तिग्गा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-557/20), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 21.10.2023 से 14.07.2024 (कुल 268 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

(क) दिनांक 21.10.2023 से 27.03.2023 तक (कुल 159 दिन)	उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, 248 के तहत
(ख) दिनांक 28.03.2023 से 05.06.2024 तक (कुल 70 दिन)	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अनुमान्य 140 दिनों का आधे वेतन की छुट्टी को नियम 234 के अंतर्गत 70 दिनों के पूरे वेतन की छुट्टी के रूप में।
(ग) दिनांक 06.06.2024 से 14.07.2024 तक (कुल 39 दिन)	असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 जुलाई, 2025

संख्या-4/नि०सं०-12-30/2019 का.-4042--श्रीमती सुचित्रा मिंज, झा०प्र०से०, व्याख्याता, सर्ड, राँची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 15.07.2025 से 10.01.2026 तक (कुल 180 दिन) का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

18 जुलाई, 2025

संख्या-4/नि०सं०-72/2014 का.- 4257--श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी को वित्त विभाग के संकल्पों एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के तहत मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(i)	दिनांक 12.03.2014 से 07.09.2014 तक (कुल 180 दिन)	:-	वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प संख्या 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में,
(ii)	दिनांक 08.09.2014 से 06.11.2014 तक (कुल 60 दिन)	:-	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 जुलाई, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-46/2020 का.- 4003--श्रीमती सुमन गुप्ता, झा०प्र०से०, व्याख्याता, सर्ड, रांची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 08.07.2025 से 03.01.2026 तक (कुल 180 दिन) का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 जुलाई, 2025

संख्या-1/विविध-825/2025 का०- 4036--श्री सुनील कुमार सिंह भा.प्र.से. (झा:2013), अपर सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-04.06.2025 से 20.06.2025 तक कुल 17 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 21.06.2025 एवं 22.06.2025 के साप्ताहिक अवकाश (Suffix) की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 जुलाई, 2025

संख्या- 2/नि०सं०-12-53/2020 का.- 4060--श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-84/25), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-732/वि० दिनांक 14.03.2024 के आलोक में दिनांक 15.07.2025 से 18.10.2025 तक (कुल 96 दिन) शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री गुप्ता, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

*****सूचना*****

"झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र में नाम परिवर्तन से संबन्धित विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए कोई कानूनी उत्तरदायित्व स्वीकार नही किया जाता है। नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति ही इसके कानूनी परिणामों और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा"।

मै, SHAILLEY SINGH (शैली सिंह) अन्य नाम SHELLY SINGH (शेली सिंह) पिता- SHAILESH KUMAR SINGH (शैलेश कुमार सिंह) शपथ पत्र संख्या-05, दिनांक 13 मई, 2025 के अनुसार SHAILLEY SINGH (शैली सिंह) एवं SHELLY SINGH (शेली सिंह) दोनों एक ही महिला है। भविष्य में, मैं SHAILLEY SINGH (शैली सिंह) के नाम से जानी जाऊँगी।

ADDRESS:- 4E AKANSHA APARTMENT PHASE III,
BIRSA BUSSTAND, KATATOLI,
JHARKHAND RANCHI-834001

मै, PUJA CHOUDHARY (पूजा चौधरी) अन्य नाम PUJA (पूजा) पति- AMARTYA CHOUDHARY (अमर्त्य चौधरी) शपथ पत्र संख्या-01, दिनांक 17 अगस्त, 2025 के अनुसार PUJA CHOUDHARY (पूजा चौधरी) एवं PUJA (पूजा) दोनों एक ही महिला है। भविष्य में, मैं PUJA CHOUDHARY (पूजा चौधरी) के नाम से जानी जाऊँगी।

ADDRESS:- BABUDIH,
PO-B.POLYTECHNIC,
DIST-DHANBAD,
JHARKHAND PIN-826001

मै, KUMAR AARAV (कुमार आरव) अन्य नाम AMAN KUMAR (अमन कुमार) माता-SWEETY DEVI (स्वीटी देवी) शपथ पत्र संख्या-4630, दिनांक 28 मई, 2025 के अनुसार KUMAR AARAV (कुमार आरव) एवं AMAN KUMAR (अमन कुमार) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं KUMAR AARAV (कुमार आरव) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:- VILL-NUNBATTA,
PO- NUNBATTA,
PS-GODDA,
DIST-GODDA,
JHARKHAND PIN-814156

मै, BIBHA MAHTO (बिभा महतो) अन्य नाम BIBHA KUMARI (बिभा कुमारी) पति-BUDHRAM MAHTO (बुधराम महतो) शपथ पत्र संख्या-1691, दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के अनुसार BIBHA MAHTO (बिभा महतो) एवं BIBHA KUMARI (बिभा कुमारी) दोनों एक ही महिला है। भविष्य में, मैं BIBHA MAHTO (बिभा महतो) के नाम से जानी जाऊँगी।

ADDRESS:- VILL-SARJAMDIH,
PO- LOTA,
PS-SILLI,
DIST-RANCHI,
JHARKHAND PIN-835102

मै, BANKE LAL MUNDA (बांके लाल मुंडा) अन्य नाम BANKA SINGH MUNDA (बांका सिंह मुंडा) पिता-NAGAR SINGH MUNDA (नागर सिंह मुंडा) शपथ पत्र संख्या-1760, दिनांक 26 अप्रैल, 2025 के अनुसारBANKE LAL MUNDA (बांके लाल मुंडा) एवं BANKA SINGH MUNDA (बांका सिंह मुंडा) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं BANKE LAL MUNDA (बांके लाल मुंडा) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:- VILL-PARASI,
PO-PARASI,
PS-TAMAR,
DIST-RANCHI,
JHARKHAND PIN-835225

मै, BIMLA KUMARI (बिमला कुमारी) अन्य नाम SIMALA KUMARI (सिमला कुमारी) पिता- RAJESH PRASAD KUSHVAHA (राजेश प्रसाद कुशवाहा) शपथ पत्र संख्या-434, दिनांक 17 मई, 2025 के अनुसारBIMLA KUMARI (बिमला कुमारी) एवं SIMALA KUMARI (सिमला कुमारी) दोनों एक ही महिला है। भविष्य में, मैं BIMLA KUMARI (बिमला कुमारी) के नाम से जानी जाऊँगी।

ADDRESS:-TURIYABERA BALIGUMA MGM,
PO-BHILAIPAHADI,
PS-MGM-MANGO,
JAMSHEDPUR,
DIST-EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND-831012

मै, PRATIK KUMAR (प्रतिक कुमार) अन्य नाम PRAKANCHHA KUMAR (प्रकंच्चा कुमार) पिता- PRABHAKAR KUMAR (प्रभाकर कुमार) शपथ पत्र संख्या-01, दिनांक 20 जून, 2025 के अनुसार PRATIK KUMAR (प्रतिक कुमार) एवं PRAKANCHHA KUMAR (प्रकंच्चा कुमार) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं PRATIK KUMAR (प्रतिक कुमार) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:- MAIN ROAD VIDYAPATINAGAR,
BARIDIH, BARIDIH COLONY JAMSHEDPUR,
EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND PIN-831017

मै, GYANESHWAR PRASAD SAW (ज्ञानेशवर प्रसाद साव) अन्य नाम GANESHWAR PRASAD SAW (गनेशवर प्रसाद साव) पिता- BINDU SAW (बिन्दु साव) शपथ पत्र संख्या-2138, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के अनुसार GYANESHWAR PRASAD SAW (ज्ञानेशवर प्रसाद साव) एवं GANESHWAR PRASAD SAW (गनेशवर प्रसाद साव) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं GYANESHWAR PRASAD SAW (ज्ञानेशवर प्रसाद साव) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:-170 BAZAR TAND GOVINDPUR-A GOVINDPUR BOKARO,
JHARKHAND PIN-829107

मै, DEVASHISHCHATTERJEE (देवाशीष चटर्जी) अन्य नाम KUMAR DEVASHISH (कुमार देवाशीष) पिता- K C CHATTERJEE (के सी चटर्जी) शपथ पत्र संख्या-11, दिनांक 25 जुलाई , 2025 के अनुसार DEVASHISHCHATTERJEE (देवाशीष चटर्जी) एवं KUMAR DEVASHISH (कुमार देवाशीष) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं DEVASHISH CHATTERJEE (देवाशीष चटर्जी) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:-S/o- K C CHATTERJEE,
ZONE No.-1 B BIRSANAGAR NEAR J-6 TELCO,
ANDHARA SAMITI MANDIR,
PO- BIRSANAGAR,
EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND PIN-831004

मै, SHUMBHAM RANJAN (शुंभम रंजन) अन्य नाम SHUBHAM RANJAN (शुभम रंजन) पिता- BINOD KUMAR (बिनोद कुमार) शपथ पत्र संख्या-2859, दिनांक 08 जुलाई, 2025 के अनुसार SHUMBHAM RANJAN (शुंभम रंजन) एवं SHUBHAM RANJAN (शुभम रंजन) दोनों एक ही पुरुष है। भविष्य में, मैं SHUMBHAM RANJAN (शुंभम रंजन) के नाम से जाना जाऊंगा।

ADDRESS:- VILL-GOLA, PO-GOLA,
PS-GOLA
DIST-RAMGARH,
JHARKHAND PIN-829110